सं.फा.19(1)/2023-विधायी-I

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

एस-60, संसद भवन,
नई दिल्ली।

तारीख: 15.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालयों की संक्षिप्त गतिविधियों का विवरण - बजट सत्र, 2024 के दौरान संसद सदस्यों को परिचालन।

परिपाटी के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है ताकि विभागीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों पर विचार कर सकें और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें। परंतु चुनाव वर्ष में, लेखानुदान और अन्य अनिवार्य सरकारी कार्य पर विचार करने के लिए मंत्रालय/विभाग की पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, राजभाषा अधिनियम, 1963 की शर्तों के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपांतरों में, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2. इस संबंध में, भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका का लेखानुदान से संबंधित पैरा 7.2.5 नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> "चुनाव वर्ष में या अन्यथा जब नियमित आम बजट के स्थान पर संसद के दोनों सदनों में लेखानुदान मांग करते हुए अंतरिम बजट पेश किया जाना हो तब मंत्रालय/विभाग उस विवरण की प्रतियों की निर्धारित संख्या, जिसमें विभाग की, कैलेंडर वर्ष की संक्षिप्त गतिविधियां दी गई हों, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को अंतरिम बजट पेश करने के तुरंत बाद भेजें। ऐसे वर्ष में वार्षिक बजट में विभाग की गत वर्ष को 01 जनवरी से लेखानुदान वाले वर्ष के 31 मार्च तक की गतिविधियों के संबंध में सूचना दी गई होनी चाहिए और आम बजट पेश करने के पश्चात निर्धारित संख्या में इनकी प्रतियां (7.2.4 में दिए अनुसार) विभिन्न प्राधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।"

3. ऊपर पैरा 2 में जैसा उल्लिखित है, सभी संभावनाओं के मद्देनजर अगले सत्र (जो जनवरी, 2024 माह के दौरान बुलाया जा सकता है) के दौरान लोक सभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इन परिस्थितियों में मंत्रालयों/विभागों को पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के लिए अपने मंत्रालयों/विभागों की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना पड़ता है।

4. संसद के दोनों सचिवालयों, पत्र सूचना कार्यालय इत्यादि के लिए गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण की अपेक्षित प्रतियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

संगठन का नाम	**अंग्रेजी रूपांतर**	**हिंदी रूपांतर**	**द्विभाषी या हिंदी - अंग्रेजी दोनों रूपांतर एक जिल्द में**
लोक सभा सचिवालय			
- यदि सॉफ्ट प्रति ई-मेल में भेजी जाती है	25 प्रतियां	25 प्रतियां	25 प्रतियां
- यदि वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है	70 प्रतियां	70 प्रतियां	70 प्रतियां

....2/-

राज्य सभा सचिवालय वार्षिक रिपोर्ट संसद सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिचालित की जाएंगी	25 प्रतियां	25 प्रतियां	35 प्रतियां
पत्र सूचना कार्यालय	50 प्रतियां	50 प्रतियां	50 प्रतियां
संसदीय कार्य मंत्रालय	5 प्रतियां	5 प्रतियां	5 प्रतियां
राज्य सरकारें (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित)	2 प्रतियां	2 प्रतियां	2 प्रतियां
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	2 प्रतियां	2 प्रतियां	2 प्रतियां
उप निदेशक, अर्जन अनुभाग, संसद ग्रंथालय	5 प्रतियां	5 प्रतियां	5 प्रतियां

5. यह भी अनुरोध किया जाता है कि सॉफ्ट प्रतियां लोक सभा सचिवालय को ई-मेल lss.legis1@sansad.nic.in पर (PDF अटैचमेंट के रूप में) और राज्य सभा सचिवालय को ई-मेल rslegis@sansad.nic.in पर भी भेजी जाए।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त, गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण की कुछ प्रतियां विभागीय संसदीय स्थायी समितियों को भी उपलब्ध कराई जानी हैं। स्थायी समितियों के लिए अपेक्षित इन प्रकाशनों की प्रतियों की वास्तविक संख्या की जानकारी कृपया लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों की संबंधित समिति शाखाओं से प्राप्त की जाए तथा अपेक्षित संख्या में प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराई जाएं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

सुमन बारा

(सुमन एस. बारा)
निदेशक
दूरभाष: 23083832

सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार,
(संसद अनुभाग),
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित: उप सचिव (प्रशासन)/अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय।